तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12–08–2024	विद्वान अधिवक्ता श्री इन्दर सिंह रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 व 3 उपस्थित। वकील श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ ने अपीलाण्ट की ओर से वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व अपील संख्या 432/2024 उनवान पारसकंवर बनाम हनवन्त सिंह पत्रावली दिनांक 21.08.2024 को नियत है। उक्त पत्रावली में राजीनामा होने से पत्रावली आज तलब कर अपील को जरिए विड्रो खारिज फरमाया जावे। जिस पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर पत्रावली आज तलब की गई। वकील श्री महेन्द्र सिंह राठौड ने एक अन्य प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स श्रीमती पारस कंवर व श्रीमती मोहन कंवर द्वारा उपरोक्त उनवान के प्रकरण में आपसी समझाईश से एवं लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के बीच राजीनामा हो गया है, जिससे अपीलाण्ट्स अब इस अपील को आगे चलाना नही चाहते है अतः अपील को जरिये विड्रो खारिज फरमायी जावे। अधिवक्ता अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। विड्रो का प्रार्थना–पत्र अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अपीलाण्ट श्रीमती पारसकंवर एवं श्रीमती मोहनकंवर वर्तमान में राजस्थान के बाहर निवास करती है एवं उनके कहे अनुसार जैर अपील विड्रो का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 व 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री इन्दर सिंह ने विड्रो के प्रार्थना–पत्र पर नो–ऑब्जेशन प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपील पर गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र अपील विड्रो का स्वीकार किया जाकर अपील जरिये विड्रो खारिज की जाती हैं। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। संभागीय आयुक्त, पाली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.08.12 17:53:46 IST
Reason: SelfAttested